4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/ कौंसिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।

5- संस्था शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

6- कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनाई जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

7- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।

8- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/ पंजिकाओं में रखा जायेगा।

9- उत्तर प्रदेश शिक्षा संहित की धारा 105 से 107 के अन्तर्गत विभिन्न वर्गो के छात्रों को अनुमन्य शुल्क मुक्ति संस्था के छात्रों को प्रदान की जायेगी।

10- उक्त शर्तो में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/ संशोधन/ परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

दिनांक- 11-7-17

सत्यप्रतिलिपि ।

दीपक बंसल

Sunder

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक/अन्वेषक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स, मेरठ।

12-12-17

सोसाइटीज तथा चिट्स * सत्यमेव जयते मण्डल, मेरठ (उ0प्र0)

प्रारूप-9

नियम 8(2) देखिये

संख्या 01136/2024-2025 दिनांक 08/01/2025

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण संख्या: R/GBN/13989/2024-2025 पत्रावली संख्या:59710-M दिनांक:2014-2015

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि **श्रीमती राजवती देवी एजूकेशनल सोसाइटी, ग्राम-रौजा जलालपुर, पोस्ट-रौजा याकूबपुर, जिला- गौतमबुद्धनगर, गौतम बुध्द नगर, 201009** को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 687 दिनांक-11/09/2014 को दिनांक-05/05/2024 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है |

1450 रूपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है |

Digitally Signed By
(RISHABH KUMAR AGRAWAL)
51956BC79825622FF1057D2BDDF1F60578F2F1F0
Date: 08/01/2025 5:36:28 PM, Location: Ghaziabad.

जारी करने का दिनांक-08/01/2025

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश ।

:: नोट ::

यह नवीनीकरण प्रमाणपत्र संस्था के हित में निर्गत किया जा रहा है जो संस्था के अन्यथा विधिपूर्वक पंजीकृत रहने की दशा में ही मान्य हैं| इस नवीनीकरण प्रमाण पत्र से किसी आवेदक, प्रबंध समिति अथवा किसी अन्य संबद्ध/असम्बद्ध व्यक्तिके किसी दावे , अधिकार, अनुतोष अथवा मान्यता की पुष्टि नहीं होती है तथा इन प्रयोजनों हेतु इस नवीनीकरण प्रमाण पत्र का प्रयोग किसी न्यायालय में मान्य नहीं है| इस प्रमाण पत्र को केवल संस्था हित में निर्गत किया जा रहा है तथा किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में यह पठनीय नहीं होगा|

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

35AD 968298

यह जनरल स्टाम्प पेपर श्रीमती राजवती देवी एजूकेशनल सोसाइटी
ग्राम रौजा जलालपुर, पो. रौजा याकूबपुर,
जिला गौतमबुद्धनगर पत्रावली सं० 59710 (M)
संलग्न है।
सूची वर्ष 2017-18

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक / अन्वेषक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स, मेरठ।

18-12-17

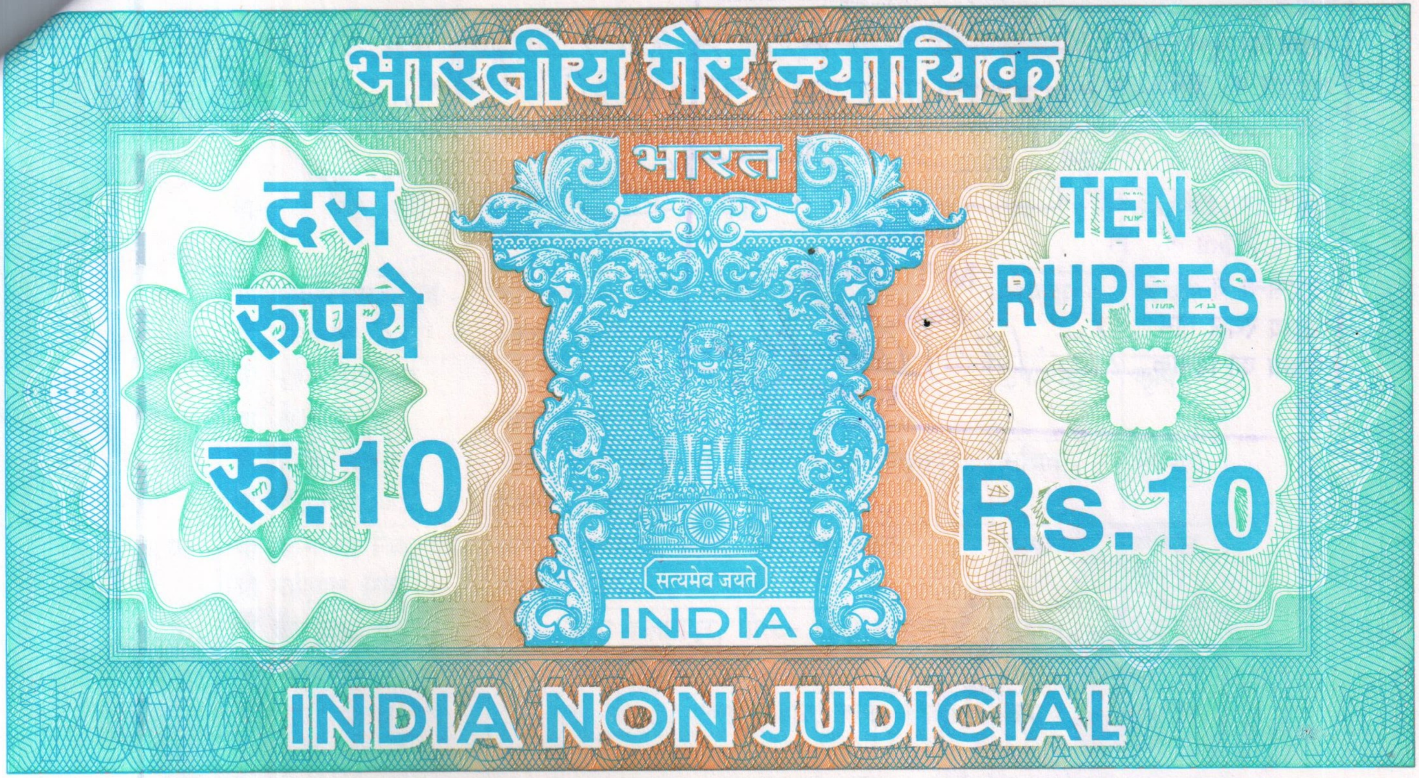

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

35AD 968297

यह जनरल स्टाम्प पेपर श्रीमती राजवती देवी एजुकेशनल सोसाइटी ग्राम रौना जलालपुर, पो - रौना याकूबपुर

जिला गौतमबुद्धनगर पत्रावली सं० 59710 (M)

संलग्न है।

सचि० नेपालपाल

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक / अन्वेषक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स, मेरठ।

19-12-17

श्रीमती राजवती देवी एजूकेशनल सोसाइटी

<u>ग्राम- रौजा जलालपुर, पोस्ट- रौजा याकूबपुर, जिला- गौतमबुद्धनगर।</u>

प्रबन्धसमिति की सूची वर्ष :-2017-2018

क्र0 सं0	नाम व पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्री दीपक बंसल पुत्र श्री रामकला	गली नं0-6, कृष्णा विहार, फेस-2, लोनी, जिला- गाजियाबाद।	अध्यक्ष	व्यापार
2.	श्री भंवर सिंह पुत्र श्री जीता	12, शिव मंदिर, हबीबपुर, जिला- गौतमबुद्धनगर।	उपाध्यक्ष	कृषि
3.	श्री अनिल पुत्र श्री वीर सिंह	ग्राम- रौजा जलालपुर, पोस्ट- रौजा याकूबपुर, जिला- गौतमबुद्धनगर।	सचिव	व्यापार
4.	श्री ब्रहमपाल सिंह पुत्र श्री महीपाल सिंह	ग्राम- ऐमनाबाद, पोस्ट- बिसरख, जिला- गौतमबुद्धनगर।	कोषाध्यक्ष	व्यापार
5.	श्री वीर सिंह पुत्र श्री लिखिराम	ग्राम- रौजा जलालपुर, पोस्ट- रौजा याकूबपुर, जिला- गौतमबुद्धनगर।	सदस्य	व्यापार
6.	श्री सुरेन्द्र बंसल पुत्र श्री चरण सिह	10, गली नं0-5, कृष्णा विहार, लोनी, जिला- गाजियाबाद।	सदस्य	व्यापार
7.	श्री संजय पुत्र श्री वीर सिंह	ग्राम- रौजा जलालपुर, पोस्ट- रौजा याकूबपुर, जिला- गौतमबुद्धनगर।	सदस्य	व्यापार
8.	श्रीमती ब्रमवती पत्नी श्री ब्रहमपाल सिंह	ग्राम- ऐमनाबाद, पोस्ट- बिसरख, जिला- गौतमबुद्धनगर।	सदस्य	गृहणी
9.	श्रीमती कृष्ण पत्नी श्री संजय	ग्राम- रौजा जलालपुर, पोस्ट- रौजा याकूबपुर, जिला- गौतमबुद्धनगर।	सदस्य	गृहणी
10.	श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री धर्मवीर सिंह	66, गली नं0-2, दुर्गापुरी एक्सटेंशन, शाहदरा, मण्डोली सबोली उत्तरी पूर्वी दिल्ली-110093	सदस्य	व्यापार
11.	श्रीमती बबीता पत्नी श्री अनिल	ग्राम- रौजा जलालपुर, पोस्ट- रौजा याकूबपुर, जिला- गौतमबुद्धनगर।	सदस्य	गृहणी

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक/अन्वेषक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फार्म्स सोसाइटीज तथा चिटस, मेरठ।

1P-12-17

संशोधित नियमावली

1- संस्था का नाम : श्रीमती राजवती देवी एजूकेशनल सोसइटी।

2- संस्था का पूरा पता : ग्राम- रौजा जलालपुर, पोस्ट- रौजा याकूबपुर, जिला- गौतमबुद्धनगर।

3- संस्था का कार्यक्षेत्र : समस्त उत्तर प्रदेश होगा।

4- संस्था के उद्देश्य : स्मृति-पत्र के अनुसार होंगे ।

5- संस्था की सदस्यता एवं सदस्यों के वर्ग :-

क- सदस्यता :-

जो सज्जन 18 वर्ष से अधिक आयु का हो, नैतिक आचरण वाला हो, दिवालिया न हो, पागल न हो, सर्वोदय विचार वाला हो, संस्था के उद्देश्यों के प्रति पूर्ण निष्ठा रखता हो, संस्था का सदस्य बन सकता है।

ख- सदस्यों के वर्ग :-

अ- आजीवन सदस्य :-

जो सज्जन क्रमांक 5(क) के अनुसार योग्यता रखते हुए उसने संस्था को एक मुश्त 500/- रू0 नकद या इससे अधिक सम्पत्ति दान स्वरूप देगा, आजीवन सदस्य कहलायेगा ।

ब- सामान्य सदस्य :-

जो सज्जन क्रमांक 5(क) के अनुसार योग्यता रखते हुए उसने संस्था को एक मुश्त 100/-रू0 नकद वार्षिक शुल्क या इससे अधिक सम्पत्ति दान स्वरूप देगा, सामान्य सदस्य कहलायेगा।

दीपक बंसल

Sudeler

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान ~~सहायक~~/अन्वेषक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स, मेरठ।

18-12-17

6- सदस्यता की समाप्ति :-

1- सदस्य की मृत्यु होने पर ।

2- सदस्य द्वारा त्याग-पत्र दिये जाने पर ।

3- संस्था की सदस्यता शुल्क अदा न करने पर।

4- सदस्य को दिवालिया अथवा पागल घोषित होने पर।

5- संस्था के विरूद्ध कार्यो में संलिप्त पाये जाने पर।

6- संस्था की तीन मीटिंग में बिना किसी कारण लगातार अनुपस्थिति रहने पर।

7- संस्था के अंग :-

क- साधारण सभा ।

ख- प्रबन्धकारिणी समिति ।

8- साधारण सभा :-

क-गठन :- संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर बनाया गया समूह साधारण सभा कहलायेगी।

ख-बैठकें :- साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक बार एवं विशेष बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है।

ग-सूचना :- सामान्य बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व एवं विशेष बैठक की सूचना 24 घंटे पूर्व दी जायेगी, सूचना डाक या स्पेशल मैंसेजर द्वारा दी जायगी ।

घ-कोरम :- साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल संख्या का दो तिहाई होगा, कोरम के अभाव में स्थगित की गयी बैठक के लिए कोरम की पाबन्दी न होगी, यदि उन्हीं विषयों पर विचार होता हो ।

ड-विशेष वार्षिक अधिवेशन :-

संस्था का विशेष वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार हुआ करेगा जिसकी तिथि प्रबन्धसमिति द्वारा निर्धारित की जायेगी।

दीपक बंसल

Sunder

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक / अन्वेषक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिटस, मेरठ।

19-12-17

च-साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य :-

1- संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव करना ।

2- संस्था के आय-व्यय की रिपोर्ट, बजट आदि को पास करना ।

3- संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन, परिवर्तन 2/3 बहुमत से करना।

4- संस्था की नीति निर्धारित करना ।

5- संस्था के भ्रष्ट सदस्यों को निकालना ।

9- प्रबन्धकारिणी समिति :-

क-गठन :- संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति का गठन साधारण सभा अपने सदस्यों में से बहुमत द्वारा होगा। जिसमें अध्यक्ष- एक, उपाध्यक्ष- एक, प्रबन्धक- एक, उपप्रबन्धक- एक, कोषाध्यक्ष- एक एवं सदस्यगण- छः से दस होगे। जो आवश्यकता पडने पर घट बढ सकती है।

ख-बैठकें :- सामान्य बैठक वर्ष में कम से कम दो बार एवं विशेष बैठक कभी भी अध्यक्ष के निर्देशन पर बुलाई जा सकती है।

ग-सूचना :- सामान्य बैठक की सूचना 07 दिन पूर्व एवं विशेष बैठक की सूचना 24 घंटे पूर्व दी जायेगी, सूचना डाक या स्पेशल मैसेंजर द्वारा दी जायेगी ।

घ-कोरम :- प्रबन्धकारिणी समिति का बैठक का कोरम तीन चौथाई होगा, कोरम के अभाव में स्थगित की गयी बैठक की पाबन्दी न होगी, यदि उन्ही विषयों पर विचार होता हो।

ड-रिक्त पद की पूर्ति :-

प्रबन्धकारिणी समिति में आकस्मिक रिक्त पद होने पर उसकी पूर्ति प्रबन्धकारिणी समिति स्वयं साधारण सभा सदस्यों में से बहुमत द्वारा शेष कार्यकाल की अवधि के लिए कर लेगी ।

दीपक बंसल

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक/अन्वेषक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिटस, मेरठ।

1P-12-17

च-कार्यकाल :- प्रबन्धसमिति का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा।

च-प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य :-

1- संस्था के नियमों-विनियमों में संशोधन करना ।

2- संस्था का प्रबन्ध संचालन हेतु कर्मचारियों, अधिकारियों की नियुक्ति करना।

3- संस्था की वार्षिक रिपोर्ट, बजट आदि को तैयार कराना।

4- प्रबन्धकारिणी समिति में आकस्मिक रिक्त पद की पूर्ति करना ।

5- संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सरकारी/गैर सरकारी कार्यालयों, विभागों, बैंक/वित्तीय संस्थान से ऋण, दान-अनुदान, चन्दा सम्पत्ति प्राप्त करने हेतु कार्यवाही करना एवं आवश्यकता पडने पर संस्था की सम्पत्ति को बंधक/ मोर्टगेज रखने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित करना।

10- **प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :-**

अध्यक्ष :-

1- संस्था की सभी प्रकार की बैठकों, सभाओं की अध्यक्षता करना।

2- सभाओं, कार्यक्रमों आदि के लिए दिनांक, समय का निर्धारण कर सूचना जारी करना ।

3- समान मत होने पर अपना निर्णायक मत देना।

4- संस्था के हित में कार्य करना।

उपाध्यक्ष :- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके अधिकार एवं कर्तव्य उपाध्यक्ष को निहित होंगे।

प्रबन्धक :-

1- संस्था के अभिलेखों का रख रखाव करना व मीटिंग की कार्यवाही को रजिस्टर में दर्ज कराना, अभिलेख पूर्ण कराना।

2- संस्था के अन्तर्गत संचालित स्कूल यूनिट आदि के संचालन हेतु समस्त प्रकार की संस्था की ओर से पत्र व्यवहार करना।

दीपक बंसल

Sunder

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक/अन्वेषक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स, मेरठ।

1P-12-17

निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स मण्डल, मेरठ (उ०प्र०) सत्यमेव जयते

3- संस्था के समस्त बाउचरों, अभिलेखों पर हस्ताक्षर करना एवं उनको आवश्यकता पडने पर प्रमाणित भी करना ।

4- संस्था के द्वारा संचालित यूनिट, संस्थान, स्कूल आदि के लिए कर्मचारियों कीं नियुक्ति, वेतनवृद्धि, पदोन्नति, डिमोशन आदि सम्बन्धी कार्यवाही करना ।

5- संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सरकारी/गैर सरकारी कार्यालयों, विभागों, बैंक/वित्तीय संस्थान से ऋण, दान-अनुदान, चन्दा सम्पत्ति प्राप्त करने हेतु कार्यवाही करना एवं आवश्यकता पडने पर संस्था की सम्पत्ति को बंधक/ मोर्टगेज रखना।

6- संस्था के सदस्य/ कर्मचारी के त्याग-पत्र को अध्यक्ष की स्वीकृत के बाद संस्तुति करना।

उपप्रबन्धक :- प्रबन्धक की अनुपस्थिति में उनके अधिकार एवं कर्तव्य उपप्रबन्धक को निहित होंगे।

कोषाध्यक्ष :- 1- संस्था के कैश से सम्बन्धित सभी अभिलेख तैयार करना, उनमें धनराशि का इन्द्राज करना।

2- संस्था के आय व्यय की रिपोर्ट, बजट तैयार कराकर बैठक में प्रस्तावित करना।

3- अध्यक्ष तथा प्रबन्धक के द्वारा सौंपे गये कार्य करना।

11- नियमों-विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :-

संस्था के नियमों-विनियमों में संशोधन प्रक्रिया प्रबन्धसमिति के अनुमोदन होने के दस दिन बाद साधारण सभा की बैठक में दो तिहाई बहुमत पूर्ण होने पर संशोधन/ परिवर्तन मान्य होगा।

दीपक बंसल

Sunder

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक/अन्वेषक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स, मेरठ।
19-12-17

12- **संस्था का कोष :-** संस्था का कोष संस्था के नाम से किसी भी बैंक अथवा डाकघर में रखा जायेगा जिसका संचालन संस्था के प्रबन्धक एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा।

13- **आय व्यय लेखा परीक्षण :-**

संस्था के आय व्यय का वार्षिक आडिट प्रबन्धसमिति द्वारा नियुक्त आडिटर अथवा सी0ए0 द्वारा कराया जायेगा, जो कि पहली अप्रैल से 31 मार्च तक का होगा।

14- **कानूनी कार्यवाही :-** संस्था की समस्त कानूनी कार्यवाही प्रबन्धक द्वारा की जायेगी, जो कि संस्था के पंजीकृत कार्यालय के क्षेत्रान्तर्गत की जायेगी।

15- **अभिलेख :-** सदस्यता रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, एजेण्डा, लेजर, कैश बुक रसीद बुक आदि जो भी आवश्यक हो, रखे जायेंगे ।

16- **विघटन :-** संस्था की विघटन एवं विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट की धारा-13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी ।

17- **संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु :-**

किसी संस्थान/भूमि, भवन तथा चल-अचल सम्पत्ति को अनुदान में प्राप्त करना, क्रय करना, व्यवस्थित रखना, हस्तान्तरण करना या पट्टे या किराये या किराये पर लेना या अनुज्ञा द्वारा अन्य साधनों से प्राप्त करना।

18- **प्रतिबन्धों की बाध्यता :-**

1- विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

2- विद्यालय की प्रबन्धसमिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

3- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद/ बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

दीपक बंसल

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक/अन्वेषक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स, मेरठ।

18-12-17